

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 9-8-2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं०	पद नाम/स्थान
1	श्री दिनेश चन्द्र मालाकार	आर/1994/06	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं०1, परबतसर जिला नागौर।
2	श्री अनिश चौहान	आर/1841/99	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं०2, परबतसर जिला नागौर।

आज्ञा से
हो

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेडता जिला नागौर।
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं० 1 व 2 परबतसर, जिला नागौर।
10. जिला कलक्टर, नागौर।
11. कोषाधिकारी, नागौर।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण